न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 126/2022 राजस्व अपील

1. मीठालाल पुत्र नाथूलाल जाति गुर्जर निवासी राणोली तहसील बहरावण्डा जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राज. सरकार जरिये उप तहसीलदार उप तहसील बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय उप तहसीलदार उप तहसील बहरावण्डा निर्णय दिनांक 16.08.2018 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम मीठालाल, प्रकरण सं. 62/2018 अ.धारा 91 राज. लै. रे. एक्ट

उपस्थिति : श्री राकेश जैमन अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

-: निर्णय :-

दिनांकः 24.06.2024

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का ने अपीलान्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट ने संवत 2075 में ग्राम राणोली की भूमि खसरा नं0. 697/104 रकबा 0.60 है0 किस्म चरागाह पर अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट को बिना सुने ही एकतरफा में निर्णय दिनांक 16.08.2018 पारित कर अपीलान्ट को अतिक्रमित आराजी से बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से भी दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 16.08.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा का यह निर्णय विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुने एकतरफा में विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय का कोई नोटिस नहीं मिला ना ही अपीलान्ट को असालतन तामील ही हुई है। बिना तामील हुए ही इकतरफा में निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर दिया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:09:05 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दौसा

अपीलान्ट ने किसी भी चरागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना भी साबित नहीं हुआ है। बिना पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित किये बिना अपीलान्ट को अतिक्रमी नहीं माना जा सकता। अपीलान्ट अत्यन्त गरीब ग्रामीण काश्तकार व्यक्ति है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 16.08.2018 में से 90 दिन के सिविल कारावास की सजा को निरस्त करने के आदेश फरमावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट नें संवत 2075 में ग्राम राणोली में स्थित भूमि खसरा नं0. 697/104 रकबा 0.60 है0 में से 0.35 है. पर पडत कब्जा व आवास बनाकर एवं 0.25 है. पर बाजरे की काश्त कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिकमी को अतिकमित आराजी से दिनांक 16.08.2018 को बेदखल करने एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 16.08.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में राजस्व अपील प्रकरण संख्या 71/2019 मीठालाल बनाम राज. सरकार पेश होने पर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.01.2020 द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.08.2018 को यथावत रखा गया था। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस अधिवक्तागण उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 16.08.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील प्रकरण संख्या 71/2019 मीठालाल बनाम राज. सरकार पेश होने पर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.01.2020 द्वारा अपील खारिज की जा चुकी है। अपीलान्ट द्वारा सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत नहीं कर पुनः अपील इसी न्यायालय में पेश की गई है। ऐसी स्थिति में प्रकरण सीपीसी की धारा 11 के अन्तर्गत **Res Judicata** होने के कारण पुनः निर्णय किये जाने का कोई औचित्य नहीं होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा प्रकरण संख्या 62/2018 सरकार बनाम मीठालाल में पारित निर्णय दिनांक 16.08.2018 यथावत रखा जाता है। साथ ही तहसीलदार बहरावण्डा को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत अतिक्रमित भूमि से अतिक्रमण हटवाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 16.08.2018 की पालना कराया जाना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:09:05 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 24.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा